

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली ①

10:- 26 / 2019


तारीखरजू:- 7.3.19

उनवान:- रामस्वरूप बनाम राकेश वर्गो

दावा तकारमा, स्थाई निषेधाज्ञा, घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 53,188,88 रा0टि0एक्ट


क्र 19 फर्द अहकाम  
वादी की ओर से श्री ~~समभरोसी गुप्ता~~ एडवोकेट ने दावा वावत तकारमा, स्थाई निषेधाज्ञा, घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88,188,53 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन, नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 04.04.2019 को पेश हो।

843-54  
7/3/19

  
उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली


4.4.19

वादी वकील उपो प्रतिवादी नं. 1 ता. 4 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने तथा प्रतिवादी नं. 11 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv. ने बकालतनामा पेश किया। तथा प्रतिवादी नं. 11 का जबाब दावा पेश किया वादी वकील ने जबाब दावा की जति उठा की। प्रतिवादी नं. 5 ता. 10 एवं 12 काबजूद सूचना उपस्थित नहीं हैं, उनके विकरुद एक पक्षीप कार्यवाही की जाती है। जबाब प्रतिवादी नं. 1 ता. 4 पेश कले दि० 17.5.19 को पेश हो।




17.5.19

पत्रावली पेश हुई। वाद की ओर से कार्य रसगन रद्द गया है। गतानुसार दिनांक 31.5.19 को पेश हो।



31.5.19

वकालत उपो प्रतिवादी नं. 1 ता. 4 व 10 की ओर से जबाब दावा पेश किया। वादी वकील ने जबाब की जति उठा की। प्रतिवादी नं. 10 के विकरुद एक पक्षीप कार्यवाही हो चुकी है। तब कीमत कागम कले दिनांक 3-6-19 को पेश हो।



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौला

(5)

दिनांक

फर्द अहकाम

22-8-18 चकील उमय पस उपस्थित। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर करौली से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जो से पत्रावली मिजवाने का पत्र प्राप्त हुआ है। रिप्ली के साथ पत्रावली माननीय न्यायालय जिला कलक्टर करौली में सुनवाई तिथि 2-9-19 से पूर्व मिजवाने।

5  $\frac{8}{24}$  पत्रावली माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम से पत्रावली दिनांक 26-6-24 से दिनांक 8-7-2024 को प्राप्त हुई है। उक्त पत्रावली ग्राम नागवतीपुर की है। जो न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है। पुनः उक्त रिप्लाय हेतु लोकल पडाकारण को जारी होकर दिनांक 29-8-24 को पेश हो।

(5)

29  $\frac{8}{24}$  पत्रावली पेश हुई। वादी को नोटिस इन्कारी के प्राप्त हुए हैं तथा प्रतिवादी गण के नोटिस संतानिल हुए, प्रतिवादी गण की ऊपर से श्री राजकुमार सिंह एडव ने कबलत नामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि वादी ने नोटिस लेने से मना किया है। अतः वादी की तानिल मानी जाती है। वादी न्यायालय उपस्थित रहें हैं। पत्रावली अदालत हाजरी अदालत परची खपरीज की जाती है। पत्रावली फेशल शुद्ध नम्बर से उक्त होकर दाखिल दफतर है।

5819.31  
12-8-24

(5)